

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

का0आ0सं0-निग/सारा- (उ०वि०भ०)मुक०-01/19

पटना, दिनांक :- 31/5/19

कार्यालय आदेश - 107

श्री मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति: सेवा से बर्खास्त द्वारा भवन प्रमंडल, सुपौल के पदस्थापन काल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्मली एवं भरौना की विशेष मरम्मत कार्य हेतु दिनांक-30.03.2004 को क्रमशः ₹1,50,000/- एवं ₹1,50,000/- अग्रिम सहायक अभियंता से प्राप्त कर डेढ़ वर्ष से अपने पास रखकर इनके द्वारा राशि गबन करने, कार्य स्थल पर कोई कार्य नहीं कराने एवं कार्य से संबंधित कोई लेखा एवं मापी प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित नहीं करने के मामले में लोकायुक्त कार्यालय का पत्रांक-1259 लोका दिनांक-26.05.2006 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-219 सहपठित ज्ञापांक-10104(S) दिनांक-29.08.2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री रंजन के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा गठित आरोपो को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-2224(S) दिनांक-22.02.2007 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति के साथ श्री रंजन से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई श्री रंजन द्वारा दिनांक-31.07.2007 को अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। श्री रंजन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया कि सहायक अभियंता द्वारा उन्हें अग्रिम नहीं दिया गया। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के समक्ष सहायक अभियंता ने श्री रंजन को दिये गये अग्रिम की हस्त रसीद भी प्रस्तुत किया। साथ ही माननीय लोकायुक्त के समक्ष सुनवाई के क्रम में श्री रंजन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की कंडिका-4 में स्वीकार किया गया है कि उन्हें हस्त रसीद संख्या-24 एवं 25 दिनांक-30.03.2004 द्वारा क्रमशः ₹1,50,000/- एवं ₹1,50,000/- कुल ₹3,00,000/- प्राप्त हुआ है, साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया की मापी पुस्तिका तैयार है, जब कि सुनवाई में उपस्थित कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा स्पष्ट किया गया की प्राप्त अग्रिम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया गया है। इस प्रकार उनके द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री रंजन द्वारा 3.00 तीन लाख रुपये अग्रिम लेने के बावजूद भी प्रसंगाधिन योजना में कोई कार्य नहीं किया गया और राशि गबन कर लिया गया।

3. उक्त सत्यापित आरोप के आलोक में श्री रंजन के द्वितीय कारण पृच्छा के अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-27 सहपठित ज्ञापांक-477(E) दिनांक-31.01.2008 द्वारा इनको तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त का दंड संसूचित किया गया।

4. उक्त संसूचित दंड के विरुद्ध श्री रंजन द्वारा दिनांक-25.02.2008 को अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अपील अभ्यावेदन को विभागीय समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-183 सहपठित ज्ञापांक-6582(S) दिनांक-19.06.2009 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

5. उक्त संसूचित दंडादेश के विरुद्ध श्री रंजन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में C.W.J.C No.- 13984/2008 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में दिनांक-27.06.2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-27 सहपठित ज्ञापांक-477(E) दिनांक-31.01.2008 एवं कार्यालय आदेश संख्या-183 सहपठित ज्ञापांक-6582(S) दिनांक-19.06.2009 को निरस्त कर दिया गया है। उक्त पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता के प्राप्त परामर्श के आलोक में L.P.A No.-371/2019 दायर किया गया है।

6. इसी बीच मननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C No.-13984/2008 में दिनांक-27.06.2018 को पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने के कारण श्री रंजन द्वारा M.J.C. No.-4713/2018 दायर किया गया जिसमें दिनांक-27.02.2019 को पारित न्यायादेश के तहत उक्त C.W.J.C में पारित न्यायादेश का अनुपालन किये जाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक-11.04.2019 को उक्त M.J.C में अभियंता प्रमुख की उपस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक सप्ताह में अनुपालन का आदेश दिया गया।

7. C.W.J.C No.- 13984/2008 मनोज कुमार रंजन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-27.06.2018 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-93 सहपठित ज्ञापांक-3033 दिनांक-15.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-27 सहपठित ज्ञापांक-477(E) दिनांक-31.01.2008 एवं कार्यालय आदेश संख्या-183 सहपठित ज्ञापांक-6582(S) दिनांक-19.06.2009 को निरस्त किया गया है। इसके फलस्वरूप श्री मनोज कुमार रंजन को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में योगदान देने का निदेश दिया गया है। साथ ही उक्त विभागीय कार्यालय आदेश में C.W.J.C No.- 13984/2008 में माननीय उच्च न्यायालय में दायर L.P.A No.- 371/2019 में पारित होने वाले न्याय निर्णय से प्रभावित होगा का आदेश संसूचित है।

8. उक्त L.P.A No.-371/2019 में दिनांक-12.04.2019 को पारित न्यायादेश का मुख्य क्रियाशील अंश निम्नवत है।

"Having considered the submissions raised, we find that the conclusion drawn by the learned single judge does not suffer from any infirmity insofar as the procedural lapses are concerned. The oral enquiry or even the production of the original documents or receipt was necessary in order to establish as to whether the appellant had actually received the amount before arriving at the conclusion of its misappropriation. The recommendation made by the Lokayukta had to be examined in the regular enquiry proceedings which, in our opinion, does not appear to have been done by leading appropriate evidence.

It is, therefore, clear that in the absence of any such evidence having been led and the oral evidence having not been adduced, the learned single judge was justified in quashing the impugned orders. We are, therefore, not inclined to interfere with the same.

The appeal lacks merit and is, accordingly, rejected without prejudice to the appellant state to initiate proceedings afresh from the stage of submission of charge-sheet and leading of evidence."

9. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A No.-371/2019 में दिनांक-12.04.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है :-

(i) श्री मनोज कुमार रंजन, कनीय अभियंता के विरुद्ध आरोप पत्र गठन के स्तर से नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाएगा।

(ii) श्री मनोज कुमार रंजन को देय अनुमान्य परवर्ती लाभ का भुगतान नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना से आवश्यक परामर्श प्राप्त करते हुए किया जाएगा।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक- सं0

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग /ग्रामीण विकास विभाग/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता सभी उपभाग/सभी अधीक्षण अभियंता सभी उपभाग/सभी कार्यपालक अभियंता सभी उपभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-3 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, (प्र0को0) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/3/6/13/14 एवं श्री मनोज कुमार रंजन, पिता-श्री बासुदेव मालाकार, ग्राम-बैसा, थाना-परवता, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक :- 03/5/19

ज्ञापांक-

3433 (E)

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।